has charged the Vice-Chancellor with making illegal appointments. The appointment of Shri Veerabadhu, as Chief Executive on contract and paying him Rs. 7000/- as salary in violation of the guidelines has been referred.

— The University has no information about any group of employees called "Save IGNOU group" in the University. There are serveral associations representing Teachers, Officers, Non-teaching staff, Secretarial staff. Professional and Technical staff, SC/ST employees etc.

— Shri N. Veerabadhu, who was Chief Engineer in (CPWD, was appointed by the University as Chief Engineer on deputation on 4-7-1991. On his retirement from the CPWD, the University appointed him on contract basis as Chief Engieneer on a consolidated salary of Rs. 7000/- per month. He was not appointed as consultant.

(iii) There are charges of mis-use of Japanese grant amounting to Rs. 7.94 crores; teachers belonging to the Group say that there are no records available to indicate utilisation of the equipment purchased from the grant.

— The Government of Japan provided a grant of Rs. 611 million Yen (Approx. Rs. 7.50 crores) in November, 1988 to set up a modern post production facility for producing audio-video learning packages for the University's programmes. According to this agreement, all the equipment was to be procured, supplied and installed by the Japanese authorities themselves. Accordingly, the Japanese authorities supplied and installed the equipment and commissioned the facility in May, 1990.

(iv) Non-acceptance of the teachers' demand for 1/3rd elected representation in both the Academic Council and the Board of Management and alleged systematic effort to marginalise teachers from the crucial process of decision-making.

— The Academic Council and the Board of Management are constituted according to provision in the Act and statutes. The existing composition of these bodies, which includes representatives of teachers does not envisage election of representatives of teachers.

महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिये महिला आयोग

591. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :**
श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिये किन-किन राज्यों में महिला आयोगों का गठन किया गया है ;

(ख) ऐसे आयोग किन-किन राज्यों में गठित किये जाने का विचार है;

(ग) ऐसे आयोग सभी राज्यों में कब तक गठित किये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या गत एक वर्ष के दौरान इन आयोगों की कोई उपलब्धियां रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी): (क) राज्य महिला आयोगों की स्थापना असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में की गई है।

(ख) और (ग) राज्य महिला आयोगों की स्थापना के लिये सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं। किन्तु, इन आयोगों की स्थापना करना राज्य सरकारों का कार्य है।

(घ) और (ङ) असम, दिल्ली, महाराष्ट्र उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में राज्य महिला आयोगों की स्थापना हाल ही में की गई है। लेकिन, इनमें से बहुत से आयोगों ने अपने अधिदेश के अनुसार, महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचारों के मामलों की ओर ध्यान देने, गैर-सरकारी महिला संगठनों के साथ बैठकें करने, दहेज-विरोधी कार्यक्रमों के संबंध में जागृति शिविरों, कानूनी साक्षरता शिविरों इत्यादि का आयोजन करने, स्थैतिक विश्लेषण करने के लिये जेलों, रिमांड-गृहों का दौरा करने तथा राज्य सरकारों को उपचारात्मक कारवाई के लिये सुझाव देने जैसे कार्य प्रारंभ कर दिये हैं।

महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

592. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिये अब तक कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, राज्य-वार, स्थापित किये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में कितनी महिलाओं को शिक्षित किया गया है ;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में अन्य रोजगारोन्मुख कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ;

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में इन केन्द्रों को कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है ; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में ऐसे कितने नये केन्द्र खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कहा जाने वाला केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि समीक्षाओं ने यह दर्शाया कि यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रहा था और लागत प्रभावी नहीं था। प्रौढ़ साक्षरता की पहुंच अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के जरिये है जो कि क्षेत्र विशेष, समयबद्ध स्वयंसेवी आधारित और लागत प्रभावी है। तथापि उन कठिन और पिछड़े क्षत्रों के लिये जहां ऐसे अभियान शीघ्र शुरू नहीं किये जा सकते, वहां अब एक संशोधित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षर कायक्रम शुरू किया जा रहा है। केन्द्र आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान 40,23,730 महिलाओं को साक्षर किया गया है।

(ग) अपने आर्थिक स्तर में सुधार तथा सामाजिक कल्याण के लिये विकासात्मक कार्यक्रम के प्रति जागृति के सृजन तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण एवं छोटे परिवार की प्रवृत्ति को आत्मसात करने के साथ-साथ शिक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली कार्यात्मिक साक्षरता का आशय: पठन लेखन तथा गणना (रीडिंग, राइटिंग, और न्यूमेरेसी) इन 3 आर के माध्यम से साक्षरता और सांख्यिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

(घ) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई:—

(करोड़)

1990-91	1991-92	1992-93
32.75	17.30	1.37

(ङ) गुजरात में केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के सभी 19 जिलों को शामिल किया गया है।